# महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

नेशनल हाइवे न. 15, जैसलमेर रोड़, बीकानेर
0151–2212041, 2212042 (फैक्स) 2212044

क्रमांक प.07( 334-VI )मगंसिविबी/शैक्ष./बोम–15/2011/ दिनांक

समस्त सदस्य
प्रबन्ध मण्डल,
महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय,
बीकानेर (राज.)

विषय :– प्रबन्ध मण्डल की 15वीं बैठक का कार्यवाही विवरण भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 11–08–2011 को आयोजित प्रबन्ध मण्डल की 15वीं बैठक का कार्यवाही विवरण इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

भवदीय,

कुलसचिव

क्रमांक प.07( 334-VI )मगंसिविबी/शैक्ष./बोम–15/2011/ 2422-40 दिनांक 20/8/11

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत –

1. निजी सचिव–कुलपति/निजी सहायक, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
2. वित्त नियंत्रक, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
3. परीक्षा नियंत्रक, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्याय, बीकानेर।
5. निदेशक, शोध, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
6. निदेशक, खेलकूद, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
7. सहायक कुलसचिव (गोपनीय/परीक्षा/शैक्षणिक), महाराजा गंगा सिंह विश्वदिद्यालय, बीकानेर।
8. सम्पदा अधिकारी, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
9. समस्त अनुभाग अधिकारी, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।

उप कुलसचिव

XV

# प्रबन्ध मण्डल की 15 वीं बैठक दिनांक 11–08–2011 का कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 15 वीं बैठक दिनांक 11.08.2011 को प्रातः 11:30 बजे कुलपति सचिवालय में माननीय कुलपति प्रो. गंगा राम जाखड़ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुएः–

1. प्रो. गंगा राम जाखड़ – अध्यक्ष
2. प्रो. एल.एन. गुप्ता – सदस्य
   (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)
3. प्रो. रविन्द्र शर्मा – सदस्य
   (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)
4. डॉ. सुरेश अग्रवाल – सदस्य
   (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)
5. श्री आर.के. वर्मा – सदस्य
   (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित–प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय)
6. डॉ. विमलेन्दु तायल – सदस्य
   (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित– प्रचार्य, निजी महाविद्यालय )
7. श्री मनीराम – सदस्य
   (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)
8. श्री एच.आर. इसरान – सदस्य
   (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)
9. प्रो. एम.एम. सक्सेना – सदस्य
   (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित विश्वविद्यालय आचार्य )
10. प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल – सदस्य
    (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित विश्वविद्यालय आचार्य)
11. श्री राजेन्द्र सिंह कविया – सदस्य सचिव

बैठक के प्रारम्भ में सभी सदस्यों विशेषकर प्रबन्ध मण्डल में नव–मनोनीत सदस्य प्रो. एम. एम. सक्सेना, प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल एवं नव–पदस्थापित कुलसचिव श्री राजेन्द्र सिंह कविया, सदस्य सचिव का कुलपति महोदय द्वारा स्वागत किया गया तथा हाल ही में स्थानान्तरित कुलसचिव श्री दिनेश चंद गुप्ता द्वारा विश्वविद्यालय में की गई सेवाओं की सराहना की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की बिन्दुवार कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बैठक में प्रस्तुत बिन्दुओं पर विचार–विमर्श उपरान्त लिये गए निर्णयों का विवरण निम्नानुसार हैः–

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–15/2011/158

## प्रबन्ध मण्डल की 14 वीं बैठक की कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रबन्ध मण्डल की 14 वीं बैठक दिनांक 13–04–2011 का कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को पूर्व में भेजा जा चुका है। कार्यवाही विवरण की प्रति पुनः संलग्न कर विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई।

<u>निर्णय</u> :– प्रबन्ध मण्डल की 14 वीं बैठक दिनांक 13–04–2011 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–15/2011/159

प्रबन्ध मण्डल की विशेष बैठक दिनांक 06–06–2011 की कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रबन्ध मण्डल की विशेष बैठक दिनांक 06–06–2011 का कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को पूर्व में भेजा जा चुका है। कार्यवाही विवरण की प्रति पुनः संलग्न कर विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल की विशेष बैठक दिनांक 06–06–2011 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–15/2011/160

प्रबन्ध मण्डल की 14 वीं बैठक दिनांक 23–04–2011 में लिये गये निर्णयों की पालना रिपोर्ट के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

प्रबन्ध मण्डल की 14 वीं बैठक में लिये गए निर्णयों की संलग्न पालना रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल की 14 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की पालना रिपोर्ट का प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–15/2011/161

प्रबन्ध मण्डल की विशेष बैठक दिनांक 06–06–2011 में लिये गये निर्णयों की पालना रिपोर्ट के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

प्रबन्ध मण्डल की विशेष बैठक में लिये गये निर्णयों की संलग्न पालना रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल की विशेष बैठक दिनांक 06–06–2011 में लिये गये निर्णयों की पालना रिपोर्ट का प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। अध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया कि कुल नियुक्त 21 शिक्षकों में से 19 ने कार्य ग्रहण कर लिया है। शेष दो एसोसियेट प्रोफेसर डॉ. प्रवण देव एवं डॉ. सुनीता जाखड़ ने निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नही किया है और न ही कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। इस प्रकार पूर्व में शेष रहे 9 शैक्षणिक पदो के साथ–साथ इन दो पदों को रिक्त मानते हुए पुनः विज्ञापन जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–15/2011/162

विद्या परिषद की बैठक दिनांक 23–05–2011 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव

विद्या परिषद की बैठक दिनांक 23–05–2011 का संलग्न कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– विद्या परिषद की बैठक दिनांक 23–05–2011 के कार्यवाही विवरण पर विचार–विमर्श के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय से सम्बद्वता प्राप्त कुछ महाविद्यालय स्नातक/स्नातकोतर स्तर पर निर्धारित संख्या से कम छात्र होने पर भी पाठ्यक्रमों का संचालन कर राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों/मानदण्डों का उल्लघंन कर रहे है जिनकी सूची विद्या परिषद की कार्यवाही विवरण के साथ संलग्न है(पृष्ठ संख्या 52–53)।

प्रबन्ध मण्डल द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया तथा सर्वसम्मत निर्णय लिया कि जिन महाविद्यालयों द्वारा स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर निर्धारित संख्या से कम छात्रों को प्रवेश प्रदान कर पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे है उनके विरूद्व नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे। सदस्यों का यह भी सुझाव था कि विद्या परिषद बैठक में लिये गये निर्णयों की पालना समय पर होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिस पर अध्यक्ष महोदय ने सहमति प्रकट करते हुए पालना सुनिश्चित कराने का आश्वासन दिया। विचार–विमर्श उपरान्त विद्या परिषद की कार्यवाही बैठक का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–15/2011/163

**शोध (Ph.D.)सम्बन्धी अधिनियम O–124 में संशोधन का प्रस्ताव :–**

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के आर्डिनेन्स सं. 124–B के अनुसार एम. फिल. /पीएच.डी. में प्रवेश हेतु नेट/सेट/गेट उतीर्ण विद्यार्थियों को इस प्रवेश परीक्षा से छूट प्रदान की गई थी। वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F.1-1/2002(PS) /Exemp.part File –III मार्च, 2011 (छायाप्रति सलंग्न) द्वारा NET/JRF/SLET/GATE/M.Phil./Teaher Fellowship Holder उतीर्ण छात्रों के लिए भी पीएच.डी. में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा में प्रविष्ट होना अनिवार्य कर दिया गया है। तद्नुसार इस विश्वविद्यालय ऑर्डिनेन्स सं. 124–B में निम्नानुसार संशोधन` विद्या परिषद की बैठक दिनांक 23–05–2011 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया :–

**Ord. 124 B Entrance Test & Examination**

3. Permanent College/University teachers who fulfil the conditions for Teacher Research Fellowship (TRF) of UGC, and candidates qualified in NET/SET/GATE will be exempted from appearing in the Entrance Test and Interview, and will be given outright admission subject to availability of seats internal merit of such candidates will be drawn on the basis of marks in their post-graduate examination.
4. Candidates with M.Phil. degree in the subject concerned will also be exempted from appearing in the Entrance Test and Interview. However, their place in merit will ascertained on the basis of marks obtained at M.Phil. examination in equivalence to the total marks of Entrance Test and interview (330). For instance, if a candidate secure 360 marks out of 400 marks in M.Phil. examination, his marks for the purpose of placing him on merit list will be calculated as below :

   (360/400) x 330 = 297

   Will be substituted as under :

**Ord. 124 B Entrance Test & Examination**

3. The students who have qualified UGC/CSIR (JRF) Exam./SLET/SET/GATE/Teachers Fellowship holder have also to appear for combined entrance test for M.Phil/Ph.D to get admission to M.Phil./Ph.D.
4. The students who have passed M.Phil. degree shall also have to appear for combined entrance test for Ph.D. to get admission to Ph.D.

विद्या परिषद द्वारा उक्त प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करते हुए नेट एवं एम.फिल. अभ्यार्थियों को पीएच.डी. में रजिस्टेशन हेतु प्रवेश परीक्षा में छूट नही देने का निर्णय लिया गया। प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– विश्वविद्यालय आर्डिनेंस 124 बी में नेट एवं एम.फिल. अभ्यर्थियों को पीएच.डी. में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा में बैठने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नोटिफिकेशन के आधार पर विद्या परिषद द्वारा स्वीकृत संशोधन का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन करते हुए सहमति हेतु अध्यादेश का संशोधित प्रारूप महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय को भेजने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : **मगंसिविबी/बोम–15/2011/164**

**प्रोफेसर, ऐसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्त अभ्यर्थियों के वेतन निर्धारण हेतु जारी आदेशों के अनुमोदन का प्रस्ताव :–**

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 06.06.2011 के निर्णय संख्या एमजीएसयू/बोम–15/2011/158 की पालना एवं माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृतिनुसार राज्य सेवा तथा राजकीय विश्वविद्यालयों में सेवारत शिक्षकों की नियुक्ति पर परीविक्षाकाल में वेतन आदि का भुगतान सम्बन्धी आदेश क्रमांक 10977–87 दिनांक 04.07.2011 (प्रोफेसर हेतु) तथा आदेश क्रमांक 12964–74 दिनांक 18.07.2011 (ऐसोसिएट एवं असिस्टेंट प्रोफेसर हेतु) जारी किये गये हैं। संदर्भित आदेश दिनांक 04.07.2011 एवं दिनांक 18.07.2011 प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

<u>निर्णय</u> :– **राज्य सेवा एवं राजकीय विश्वविद्यालयों में सेवारत शिक्षकों को विश्वविद्यालय में परिवीक्षाकाल में वेतन भुगतान के सम्बन्ध में जारी विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 10977–87 दिनांक 04–07–2011 एवं 12964–74 दिनांक 18–07–2011 का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।**

एजेण्डा आईटम सं. : **मगंसिविबी/बोम–15/2011/165**

**विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन का प्रस्ताव :–**

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.20(2) शिक्षा–4/2007 पार्ट दिनांक 23.12.2009 के द्वारा परीक्षा नियत्रंक का एक पद नियमित चयन प्रक्रिया के द्वारा सीधी भर्ती से भरने की स्वीकृति की अनुपालना में वांछित भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करते हुए योग्य अभ्यर्थियों का दिनांक 30.11.2010 को साक्षात्कार उपरान्त् चयन समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा (बंद लिफाफे में) प्रबन्ध मण्डल की 13वीं बैठक दिनांक 06.12.2010 में निर्णयार्थ रखी गई थी, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने सिविल रिट पिटिशन संख्या 11187/2010 डॉ. मोहनलाल जोईया बनाम महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर में अंतरिम आदेश दिनांक 01.12.2010 के द्वारा परीक्षा नियत्रंक पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में स्थगन आदेश जारी किए जाने के फलस्वरूप चयन समिति की अनुशंसा पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश दिनांक 29.06.2011 के द्वारा सिविल रिट पिटिशन (संख्या 11187/2010) डॉ. मोहनलाल जोईया बनाम महाराजा गंगासिंह विष्वविद्यालय, बीकानेर खारिज कर दी गई है, जिसकी प्रति संलग्न है। अतः परीक्षा नियंत्रक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की अनुशंसा (बन्द लिफाफे में) प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u> :– **विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक पद हेतु चयन समिति की अनुशंसा दिनांक 30–11–2010, प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार साक्षात्कार में उपस्थित कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा नियंत्रक पद हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया। प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से परीक्षा नियंत्रक पद हेतु शीघ्र पुनः विज्ञापन जारी करने का निर्णय लिया गया।**

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–15/2011/166

**विभिन्न अशैक्षणिक पदों पर चयन एवं नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारण का प्रस्ताव :–**

राज्य सरकार के आदेश दिनांक **08.12.2010** के द्वारा स्वीकृत विभिन्न अशैक्षणिक पदों पर चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के भर्ती नियमों (जो इस विश्वविद्यालय में भी लागू हैं) में कुछ अशैक्षणिक पदों की योग्यता अंकित नहीं है एवं कुछ पदों की योग्यता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्यवहारिक नहीं होने के फलस्वरूप संलग्न विवरणी में इन पदों के लिए योग्यता निर्धारण का प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर विस्तृत विचार–विमर्श कर विभिन्न अशैक्षणिक पदों हेतु निम्नानुसार योग्यता निर्धारित करने का अनुमोदन किया :–

**Estate Officer .**

Essential Qualification :

Bachelor's degree in Civil Engineering with minimum 60% marks from a recognized University or its equivalent qualification.

Desirable Qualification :

Atleast 3 years working experience as Junior Engineer/Assistant Engineer in State/Central University or Government or Autonomous Institute or Corporation.

**Librarian**

Qualifications will be as prescribed by UGC for the post of Asstt. Librarian (P.B. 15600-39100+5400 G.P.) from time to time.

**Lower Divisional Clerk**

Essential Qualification :

A- Senior Secondary from a recognized Board or its equivalent examination.

And

B- "O" or higher level Certificate course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India.

Or

Computer operator & Programming Assistant (COPA)/ Data Preparation and Computer Software (DPCS) certificate organized under national State Council of Vocational Training Scheme.

Or

Diploma/Certificate in Computer Science/Computer Application from a University established by law in India or from an institution recognised by the Government.

Or

Diploma in Computer Science & Engineering from a polytechnic institution recognised by the Government.

**Class-IV**

Essential Qualification :

Upper primary (Middle) class passed from recognized school.

**Manager, Guest House**

Essential Qualification :

1. Bachelor's degree from recognized university or its equivalent qualification.
2. Diploma in Hotel Management & catering from recognized Institute of Govt./Central Govt. or University.

Desirable Qualification :

3. Working experience of 3 years in Circuit House/Hotel or Tourist Bungalow run by Corporation of Central/State Govt.

**Technical Assistant**

Essential Qualification :

Bachelor of Science with 50% marks

Desirable Qualification :

1. Diploma in Lab technology/instrumentation from recognized University/Institute.
2. One year working experience in a Science laboratory in State University or Govt. College/Research Institute.

**Lab Boy**

Essential Qualification :

Secondry class passed from recognized Board.

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–15/2011/167

कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के भर्ती एवं पदोन्नति नियम 24(2) के Annexure-1 में कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित है जो इस विश्वविद्यालय में भी प्रभावी है। नियम 24 (2) में अंकित प्रक्रिया अत्यधिक पुरानी एवं कालांतर में राज्य सरकार व राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कनिष्ठ लिपिक पद के लिए अपनाई जा रही परीक्षा प्रक्रिया के अनुसार विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में कनिष्ठ लिपिक के पदों पर भर्ती हेतु चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया के प्रारूप का प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के नियम 24 (2) संलग्नक–1 एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग के विज्ञापन सं. 1/परीक्षा 'ग'/कनिष्ठ लिपिक/संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा/ 2011–2012 दिनांक 17–05–2011 की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

<u>निर्णय</u> :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के प्रारूप पर व्यापक विचार–विमर्श कर निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया :–

1. निर्धारित अवधि में प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच के उपरांत आवेदन पत्र सभी प्रकार से सही पाये जाने वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा (Written Test) देनी होगी। लिखित परीक्षा में 100 अंक का बहुवैकल्पिक प्रश्न–पत्र होगा जिसमें 1–1 अंक के 100 प्रश्न पूछे जायेंगे तथा परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। प्रश्न–पत्र तीन भागों में विभाजित है जिसका पाठ्यक्रम एवं पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या निम्नानुसार है :–

| भाग | शीर्षक | पाठ्यक्रम | प्रश्नों की संख्या |
|---|---|---|---|
| (अ) | सामान्य ज्ञान (विशेषकर राजस्थान के सन्दर्भ में) | समसामयिक घटनाएँ (प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर की), भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, कृषि एवं आर्थिक विकास, इतिहास एवं संस्कृति, कम्प्यूटर ज्ञान, गणित एवं तर्कशक्ति आदि। | 50 |
| (ब) | सामान्य हिन्दी | सीनियर सैकेण्डरी स्तर | 25 |
| (स) | सामान्य अंग्रेजी | सीनियर सैकेण्डरी स्तर | 25 |

2. विज्ञापित रिक्त पदों की संख्या के तीन गुने के अध्यधीन लिखित परीक्षा में 40 % अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से वरीयता क्रम में कम्प्यूटर टाइप टेस्ट हेतु पात्र होंगे। तथापि वे समस्त अभ्यर्थी भी कम्प्यूटर टाइप टेस्ट के लिए पात्र होंगे जो लिखित परीक्षा की निर्धारित वरीयता में अंतिम अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त करते हैं। वरीयता सूची सामान्य एवं आरक्षित वर्ग की पृथक–पृथक तैयार की जाएगी। हिन्दी एवं अंग्रेजी में टाइप टेस्ट कुल 50 अंक (25 हिन्दी + 25 अंग्रेजी) का होगा।

3. लिखित परीक्षा एवं कम्प्यूटर टाइप टेस्ट के कुल पूर्णाकं 150 अंकों में से अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्तांको के आधार पर सामान्य वर्ग एवं आरक्षित वर्ग की वरीयता सूची (Merit List) पृथक–पृथक तैयार की जाएंगी। सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी में उपलब्ध रिक्तियों के अनुरूप सम्बन्धित श्रेणी के उन्हीं अभ्यर्थियों को वरीयता क्रमानुसार नियुक्ति प्रदान करने हेतु चयन समिति द्वारा अनुशंसा की जाएगी, जो अर्हता शर्तो के अनुसार अंतिम रूप से पात्र पाये जाएंगे।

4. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को आवेदक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 35 वर्ष से अधिक का नहीं हुआ हो। अधिकतम आयु सीमा में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार छूट का प्रावधान लागू होगा।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी / बोम–15 / 2011 / 168

अशैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु चयन समितियों के गठन का अनुमोदन हेतु प्रस्ताव :–

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 08.12.2010 के द्वारा स्वीकृत विभिन्न अशैक्षणिक पदों पर चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के भर्ती नियमों (जो इस विश्वविद्यालय में लागू है) में कतिपय अशैक्षणिक पदों के लिए साक्षात्कार हेतु गठित चयन समिति (Composition of Selection Committee) व्यवहारिक प्रतीत नहीं होने के फलस्वरूप महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के नियमों में गठित समितियों एवं नवीन प्रस्तावित चयन समितियों के गठन का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया विश्वविद्यालय में उपर्युक्त अशैक्षणिक पदों की भर्ती के क्रम में उपरोक्तानुसार चयन समितियों के गठन का प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u> :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर व्यापक विचार–विमर्श उपरान्त अशैक्षणिक पदों के साक्षात्कार हेतु निम्नानुसार चयन समिति गठित करने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया –

| क्र. सं. | पद | महर्षि दयामहर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के नियमानुसार गठित चयन समिति का विवरण **(Composition of Selection Committee as per MDS Uenversity Ajmer Rules)** | प्रस्तावित नवीन चयन समिति के गठन का विवरण **(Proposed Composition of Selection Committee )** |
|---|---|---|---|
| 1. | कम्प्युटर आपरेटर | 1. निदेशक कम्प्युटर केन्द्र<br>2. कुलपति द्वारा मनोनीत एक विषय विशेषज्ञ<br>3. कुलसचिव | 1. कुलसचिव<br>2. कुलपति द्वारा मनोनीत एक विषय विशेषज्ञ<br>3. उप कुलसचिव (प्रशासन) |
| 2. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 1. कुलसचिव | 1. कुलसचिव<br>2. कुलपति द्वारा मनोनीत एक अधिष्ठाता / विश्वविद्यालय प्रोफेसर<br>3. उप कुलसचिव (प्रशासन) |
| 3. | वाहन चालक | 1. कुलसचिव<br>2. क्षैत्रिय परिवहन अधिकारी अथवा उसके द्वारा मनोनीत अधिकारी | 1. कुलसचिव<br>2. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अथवा इसके द्वारा मानोनीत अधिकरी<br>3. कुलपति द्वारा मनोनीत एक उप कुलसचिव। |
| 4. | तकनीकी सहायक | 1. अधिष्ठाता विश्वविद्यालय विज्ञान संकाय<br>2. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष<br>3. कुलसचिव | 1. अधिष्ठाता विज्ञान संकाय<br>2. कुलपति द्वारा मनोनीत विज्ञान संकाय का एक प्रोफेसर<br>3. कुलसचिव |
| 5. | प्रयोगशाला सहायक | 1. अधिष्ठाता, विश्वविद्यालय विज्ञान संकाय<br>2. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष | 1. अधिष्ठाता विज्ञान संकाय<br>2. कुलपति द्वारा मनोनीत विज्ञान संकाय का एक प्रोफेसर<br>3. कुलसचिव |
| 6. | प्रयोगशाला प्रेष्य | 1. अधिष्ठाता विश्वविद्यालय विज्ञान संकाय<br>2. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष | 1. अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय<br>2. कुलपति द्वारा मनोनीत विज्ञान संकाय का एक प्रोफेसर<br>3. कुलसचिव |

एजेण्डा आईटम सं. :   मगंसिविबी/बोम–15/2011/169

**राजकीय विधि महाविद्यालय, श्रीगंगानगर द्वारा विलम्ब शुल्क में छूट के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–**

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के अध्यादेश 51 (i) (जो इस विश्वविद्यालय में भी लागू है) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों को सत्र 2011–12 के लिए सम्बद्धता शुल्क दिनांक 31.12.10 तक विश्वविद्यालय कोष में जमा कराना आवश्यक है। राजकीय विधि महाविद्यालय, श्रीगंगानगर द्वारा सत्र 2011–12 के लिए एलएल.बी. एवं एलएल.एम. पाठ्यक्रम का सम्बद्धता अभिवृद्धि शुल्क 1,20,000/– रू. बैंक ड्राफ्ट संख्या 739888 एवं 739886 दिनांक 22.12.10 (निर्धारित तिथि में बैंक ड्राफ्ट बनाकर) पत्र क्रमांक एफ.8/1297 दिनांक 28.12.10 के द्वारा विश्वविद्यालय में रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 29.12.10 को श्रीगंगानगर से प्रेषित किया गया, जो विश्वविद्यालय में दिनांक 06.01.11 को प्राप्त हुआ। सम्बद्वता शुल्क निर्धारित तिथि 31–12–2010 के पश्चात प्राप्त होने के कारण सम्बद्धता शुल्क के समान विलम्ब शुल्क राशि रू. 1,20,000/– जमा कराने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3481 दिनांक 09.05.11 के द्वारा महाविद्यालय को लिखा गया। महाविद्यालय ने पत्र क्रमांक एफ.8/1541 दिनांक 13.05.11 (छायाप्रति सलंग्न) के द्वारा विलम्ब शुल्क से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया गया। तदानुसार राजकीय विधि महाविद्यालय, श्रीगंगानगर को विलम्ब शुल्क से छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– राजकीय विधि महाविद्यालय, श्रीगंगानगर को विलम्ब शुल्क से छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सम्बद्वता राशि का डी.डी. निर्धारित अवधि में 22–12–2010 को ही बनवा लेने के कारण विलम्ब शुल्क में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया। तथापि महाविद्यालय द्वारा 6 दिन तक डी.डी. डिस्पेच नही किये जाने को लापरवाही पूर्ण कृत्य मानते हुए प्राचार्य को भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न होने के लिए निर्देशित करते हुए पत्र की प्रति आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को भेजी जाने का भी निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम सं. :   मगंसिविबी/बोम–15/2011/170

**आर्य कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, भादरा, जिला–हनुमानगढ़ के विरूद्ध जाँच समिति द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–**

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 13.04.11 के एजेण्डा आईटम संख्या मगंसिविबी/बोम–14/2011/157 (अ) के निर्णयानुसार आर्य कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, भादरा, जिला–हनुमानगढ़ स्वीकृत स्थान से अन्यत्र संचालित होने के क्रम में महाविद्यालय के निरीक्षण हेतु विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 5451–52 दिनांक 24–05–2011 (छयाप्रति सलंग्न) के द्वारा डॉ. जी.एन.शर्मा, पूर्व प्राचार्य एवं श्री अनिल कौशिक, प्राचार्य, राज. विधि महाविद्यालय, बीकानेर की दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया। उक्त समिति द्वारा दिनांक 09.06.11 को उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण कर दिनांक 25.06.11 को जाँच रिपोर्ट विश्वविद्यालय में प्रस्तुत की।

प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट के अनुसार आर्य कॉलेज ऑफ एज्युकेशन अभी भी स्वीकृत स्थान भादरा से 25 कि.मी. दूर ग्राम पो. डाबडी में ही संचालित है। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– निरीक्षण दल द्वारा प्राप्त रिपोर्ट एवं महाविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्र के अवलोकन एवं विचार–विमर्श उपरान्त प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय द्वारा पत्र के माध्यम से प्रस्तुत सूचना का (स्वीकृत स्थान पर महाविद्यालय संचालित करने की) दो सदस्यीय टीम से सत्यापन करवाया जावे। स्वीकृत स्थान पर ही (भादरा में) महाविद्यालय संचालन सम्बन्धी सूचना

गलत पाये जाने पर महाविद्यालय की सम्बद्वता समाप्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने एवं अन्यथा उपरोक्त प्रकरण पर अनावश्यक रूप से विश्वविद्यालय के समय, श्रम एवं धन का दुरूपयोग होने के कारण महाविद्यालय पर 50,000/— (रूपये पचास हजार) की शास्ति लगाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम संख्या : मगंसिविबी/बोम–15/2011/171(i)

**अतिथि गृह के कक्षों का उपभोग करने हेतु निर्धारित दरों के अनुमोदन का प्रस्ताव :—**

विश्वविद्यालय अतिथि गृह के कक्षों के उपभोग हेतु किराये की दरों के निर्धारण के लिए गठित कमेटी की अनुसंशा को माननीय कुलपति महोदय द्वारा स्वीकार करने के उपरांत विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.01(37)/मगंसिविबी/भवन/अतिथि गृह/2011/ 556 दिनांक 11.05.2011 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा निर्धारित की गई किराया दरें प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :— विश्वविद्यालय अतिथि गृह का उपभोग करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 11—05—2011 में अंकित दरों में प्रबन्ध मण्डल द्वारा कतिपय संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया। संशोधित दरों सहित आदेश संलग्न प्रेषित है।

एजेण्डा आईटम संख्या : मगंसिविबी/बोम–15/2011/171(ii)

**डीम्ड विश्वविद्यालय में सेवारत शिक्षकों की विश्वविद्यालय में नियुक्ति पर वेतन संरक्षण के सम्बन्ध में प्रस्ताव :—**

प्रबन्ध मण्डल की विशेष बैठक दिनांक 06.06.2011 में राज्य सेवा तथा राजकीय विश्वविद्यालयों में सेवारत शिक्षकों की विश्वविद्यालय में नियुक्ति पर वेतन संरक्षण का निर्णय लिया गया। इसकी अनुपालना में विश्वविद्यालय आदेश संख्या 10977—87 दिनांक 04.07.2011 तथा आदेश क्रमांक 12964—74 दिनांक 18.07.2011 के द्वारा राज्य सेवा तथा राजकीय विश्वविद्यालय सेवाओं में नियुक्त शिक्षकों (आचार्य, सह आचार्य तथा सहायक आचार्य) की विश्वविद्यालय में नियुक्ति पश्चात् वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षकों के वेतन निर्धारण सम्बन्धी परिपत्र दिनांक 27.10.2009 व दिनांक 18.02.2010 में विश्वविद्यालय में सीधी भर्ती से नियुक्त शिक्षकों के वेतन संरक्षण के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है। अंग्रेजी विभाग में नव—नियुक्त प्रो. एस. के. अग्रवाल ने प्रोफेसर पद पर कार्यभार ग्रहण करते समय दिनांक 09.06.2011 एवं तत्पश्चात् दिनांक 29.06.2011 को प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर अन्तिम आहरित वेतन को संरक्षित करने का अनुरोध किया है। विश्वविद्यालय के पत्रांक 15047 दिनांक 29.07.2011 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा डॉ. अग्रवाल से विश्वविद्यालय में नियुक्ति से पूर्व पदस्थापन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वीकृत पदों की संख्या, राज्य सरकार द्वारा अनुदान सम्बन्धी अभिलेखों सहित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया। डॉ. अग्रवाल ने अपने प्रतियुत्तर दिनांक 01.08.2011 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा अवगत कराया कि दिनांक 15.12.1989 को सहायक प्रोफेसर अंग्रेजी पद पर राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड विश्वविद्यालय के संघटक महाविधालय माणिक्यलाल वर्मा श्रमजीवी महाविद्यालय, उदयपुर में सीधी भर्ती चयन प्रकिया के आधार पर उनकी नियुक्ति हुई। प्रो0 अग्रवाल के अनुसार यह डीम्ड विश्वविद्यालय राज्य सरकार एवं यू.जी.सी. द्वारा अनुदानित विश्वविद्यालय है तथा Career Advancment Scheme के अन्तर्गत दिनांक 15.12.2002 को उनका एसोसियेट प्रोफेसर के पद पर चयन हुआ। डॉ. अग्रवाल ने राज्य सेवा तथा राजकीय विश्वविद्यालय सेवाओं में नियुक्त शिक्षकों के समान ही वेतन संरक्षण करने का अनुरोध किया है। इस सम्बन्ध में डॉ. अग्रवाल ने यह भी उल्लेखित किया है कि राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आदेश क्रमांक 142/2010/11733 दिनांक

03.03.2010 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा भी इस तरह के लाभ डीम्ड विश्वविद्यालयों में सेवारत शिक्षकों को भी दे दिये गये हैं। प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– उक्त प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल सदस्य डॉ. सुरेश कुमार अग्रवाल से सम्बन्धित होने केकारण चर्चा प्रारम्भ होने से पूर्व माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रो. अग्रवाल सदन से बाहर चले गये तथा विचार–विमर्श में सम्मिलित नहीं हुए। प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार–विमर्श कर प्रस्ताव को स्थगित करते हुए इस प्रकार के प्रकरण में राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही के विस्तृत विवरण सहित प्रस्ताव पुनः प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम संख्या : मगंसिविबी/बोम–15/2011/171(iii)

**परीक्षकों तथा परीक्षा केन्द्रों के बिलों की जाँच एवं भुगतान हेतु देय पारिश्रमिक/मानदेय के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–**

प्रबन्ध मण्डल की चौदहवीं बैठक के विनिर्णय संख्या मगंसिविबी/बोम–14/2011/153 के द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को पारिश्रमिक/मानदेय के भुगतान के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था। इस निर्णय की पालना में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.02( ) एमजीयूबी/गोपनीय/2010–11/4551–64 दिनांक 18.05.2011 (छायाप्रति संलग्न) जारी किया गया जिसकी मद संख्या III के नोट संख्या 3 के अनुसार परीक्षकों तथा परीक्षा केन्द्रों के बिलों का विश्वविद्यालय में बिल प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर भुगतान होने पर ही पारिश्रमिक/मानदेय का भुगतान देय है। चूंकि परीक्षकों तथा परीक्षा केन्द्रों के पारिश्रमिक बिल परीक्षा समाप्ति के तुरन्त बाद बड़ी संख्या में एक साथ प्राप्त होने के कारण 30 दिन में परीक्षण एवं भुगतान की कार्यवाही सम्पन्न नहीं हो पाती है। अतः उक्त 30 दिन की अवधि को 60 दिन तक बढ़ाने के लिए प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा परीक्षकों तथा परीक्षा केन्द्रों के बिलों की जाँच हेतु विश्वविद्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.02( ) एमजीयूबी/गोपनीय/2010–11/4551–64 दिनांक 18.05.2011 के बिन्दु सं. III के नोट सं. 3 में अंकित अवधि 30 दिन से बढाकर 60 दिन करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम संख्या : मगंसिविबी/बोम–15/2011/171(iv)

**उपाधि मुद्रण में लोगो के डेन्डी वाटर मार्क प्रिन्टिंग के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–**

विद्या परिषद एवं प्रबन्ध मण्डल द्वारा उपाधि का प्रारूप अनुमोदित करते समय निर्धारित आठ सिक्योरिटी फीचर्स में से एक सिक्योरिटी फीचर यह थ कि विश्वविद्यालय के लोगो का डेन्डी वाटर मार्क डिग्री के केन्द्र में प्रिन्ट किया जाए। उपाधि मुद्रित करने वाली फर्म ने डिग्रीयाँ छापने से ठीक पहले यह बताया कि डेन्डी वाटर मार्क का केन्द्र में छपना आवश्यक नहीं है। वाटर मार्क केन्द्र के इधर–उधर भी हो सकता है तथा उपाधि पर एक से अधिक भी वाटर मार्क हो सकते हैं। फर्म द्वारा बताई गई यह बात उसके द्वारा स्वीकार की गई शर्त के विरूद्ध है। यदि इस आधार पर निविदा को निरस्त करते हुए फर्म को डिग्रीयाँ छापने से मना किया जाता है तो नई निविदा आमंत्रित करनी होगी। यह चौथी निविदा है तथा इससे पहले तीन निविदायें भिन्न–भिन्न कारणों के निरस्त की जा चुकी हैं। फर्म द्वारा भेजे गये E-Mails यहाँ संलग्न हैं।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में उपाधि मुद्रण का प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

**निर्णय** :– अध्यक्ष महोदय द्वारा उपाधि मुद्रण में लोगो के डेन्डी वाट मार्क के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से प्रबन्ध मण्डल को अवगत करवाया गया। वस्तुस्थिति पर व्यापक विचार–विमर्श कर प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से उपाधि प्रपत्र के केन्द्र में वाटर मार्क की शर्त में शिथिलता प्रदान करते हुए यह निर्णय लिया गया कि उपाधि मुद्रण में एक सम्पूर्ण वाटर मार्क आना चाहिए जो उपाधि प्रपत्र में केन्द्र में होने के साथ–साथ अन्यत्र भी हो सकता है। साथ ही फर्म द्वारा उपाधि प्रपत्र के केन्द्र में वाटर मार्क देने की शर्त का उल्लंघन करने के कारण उपाधि मुद्रण पर फर्म से प्राप्त बिल की राशि में से 1½ प्रतिशत राशि की (शास्ति के रूप में) कटौती करने का निर्णय भी लिया गया।

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव